न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2022/280

श्रीमती शांति बाई पन्ति स्वर्गीय खाना उर्फ कन्हैयालाल जाति धोबी निवासी धुमेश्वर महादेव के पास, कापरेन तहसील के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।

——अपीलान्ट

बनाम

1. गणपति बाई पत्नि चतुर्भुज जाति धोबी निवासी गोल चबुतरा के पास, के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।
2. दाखा बाई पुत्री रामचन्द पत्नि घनश्याम जाति धोबी निवासी ग्राम माटून्दा तहसील एंव जिला बून्दी(राज0)।
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार के0पाटन जिला बून्दी(राज0)।

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कपिल सैनी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 20.10.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केशवरायपाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 38/2022 में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मूलवाद में साथ प्रार्थी(अप्रार्थी संख्या 1) अपीलांट की ओर से जवाबदावा व काउंटर क्लेम के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजीयात ख०सं० 174 रकबा 0.60 हे०, ख०सं० 175 रकबा 0.45 हे०, ख०सं० 176 रकबा 0.68 हे०, ख०स० 177 रकबा 0.55 हे0, कुल किता 4 कुल रकबा 2.28 हे० ग्राम व माल हिरापुर तहसील के0 पाटन जिला बूंदी मे विस्थित है जिसमें दावा पेश करते वक्त सम्वत् 2062 से 2065 की जमाबंदी में गणेश पुत्र गोरधन 1/2, खाना पुत्र रामचन्द्र 1/2 दर्ज था। दौराने दावा व काउन्टर क्लेम इन्तकाल सं० 113 दिनांक 28.09.2006 से राजस्व रिकार्ड में गणेश पुत्र गोरधन के 1/2 हिस्से के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया गणपती बाई 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं० 1 खाना 1/6 हिस्सा, दाखाबाई अप्रार्थी सं० 2 के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया

564 दिनांक 04.03.2022 से कान्हा के 2/3 स्थान पर विरासत से शान्ति बाई पत्नि खाना नाम दर्ज हो गया है, इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी सम्मद 2074 से 2077 में 2/3 हिस्से पर अप्रार्थी सं० 1 शान्ति बाई पत्नि खाना व 1/6 हिस्से पर दाखाबाई पुत्री रामचन्द्र व 1/6 हिस्से पर गणपती बाई पुत्री रामचन्द्र दर्ज है। प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 2 में वर्णित कृषि भूमि पर गणेश, रामचन्द्र जी के समय व उनकी मृत्यु के बाद से खाना उर्फ कन्हैयालाल तथा खाना उर्फ कन्हैयालाल जी की मृत्यु 18.12.2021 दिनांक से अप्रार्थी सं० 1 शान्ति बाई कब्जा काश्त करती चली आ रही है। गणेश जी अप्रार्थी सं० 1 खाना के पिता रामचन्द्र के सगे भाई थे गणेश जी के नुफ्ते से कोई औलाद पैदा नही हुई थी इस कारण से गणेश जी व उनकी पत्नि अपने जीवनकाल मे अप्रार्थी सं० 1 कान्हा द्वारा ही उनकी सेवा बन्दगी की। इस कारण गणेश जी ने प्रतिवादी/अप्रार्थी सं० 1 खाना उर्फ कन्हैयालाल के नाम एक वसीयत दिनांक 07.08.1965 को गवाह मूलचन्द, सुन्दरलाल व रामनाथ के समक्ष श्री रामनारायण शास्त्री की हस्तलिखित लिखकर निष्पादित की तथा वसीयत में गणेश जी की समस्त कृषि भूमि व अन्य सम्पतियों का एक मात्र मालिक अपनी मृत्यु के बाद अप्रार्थी सं० 1 खाना उर्फ कन्हैयालाल को बनाया था। खाना उर्फ कन्हैयालाल जी की मृत्यु दिनांक 18.12.2021 को हो गई है तथा अप्रार्थी सं० 1 शान्ति बाई उनकी एक मात्र वारिस है तथा श्री कन्हैयालाल उर्फ खाना द्वारा भी दिनांक 16.12.2021 को एक वसीयत नामा अजय जैन एडवोकेट कापरेन से प्रारूप तैयार करवा कर गवाह ओमप्रकाश गुप्ता आ0 लक्ष्मीनारायण जाति महाजन निवासी वार्ड नं0 6 ब्रह्मपुरी मोहल्ला कापरेन तह0 के0 पाटन जिला बूंदी राज0 द्वारा गवाह विष्णु प्रसाद आ० गोपाल जाति धोबी निवासी लेसरदा तह के0 पाटन जिला बूंदी के समक्ष शान्तिबाई के पक्ष में निष्पादित 100/1 नौन ज्यूडी० स्टाम्प व दो सादा कागज किता 3 पर कर दि थी और पंजीयन करवाने हेतु दिनांक 17.12.2021 को ऑनलाईन दस्तावेज करवा दिया था तथा पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिये थे तथा दिनांक 28.06.2022 को उप पंजीयक कापरेन के समक्ष शान्तिबाई द्वारा प्रस्तुत कर पंजीयन करवाली गई। इस प्रकार अप्रार्थी सं० 1 शान्ति बाई प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 2 में वर्णित कृषि भूमि की एक मात्र मालिक है तथा अप्रार्थी सं० 1 शान्ति बाई द्वारा उक्त बाद मे का प्रा० पत्र प्रस्तुत कर दिया है। गणेश जी की मृत्यु सन् 1968 में तथा गणेश राम जी की पत्नि कि मृत्यु 1970 में अप्रार्थी सं० 1 खाना के पास ही घर पर रहते हुऐ बीमारी के कारण व वृद्धावस्था के कारण हुई है। तथा गणेश जी की वसीयत के आधार पर उनकी अन्तिम इच्छा का ध्यान में रखकर अप्रार्थी सं० 1 खाना ने ही उनका हिन्दू रिती से कियाकर्म किया तथा धोबी समाज के पंचो ने जाति रिति रिवाज के अनुसार श्री गणेश जी की इच्छा अनुसार अप्रार्थी सं० 1 खाना को ही गणेश जी की पगडी बंधवाई ओर उनका वारिस घोषित किया गया। गणेश जी की मृत्यु के बाद से ही अप्रार्थी सं० 1 खाना उर्फ कन्हैयालाल व उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थी सं0 1 शान्ति बाई उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त करती चली आ रही है। परन्तु इन्तकाल खुलवाने की जानकारी के अभाव में अप्रार्थी सं० 1 कन्हैयालाल द्वारा गणेश जी के हिस्से में जर्ये वसीयत नाम दर्ज नही करवाया गया जिसका फायदा उठाकर प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अपना नाम दर्ज दोराने दावा व काउन्टर क्लेम दर्ज करवा लिया गया है। जिसका फायदा उठाकर प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 2 खाना जी की मृत्यु होते ही अप्रार्थी सं0 1 शान्ति बाई को ताकत के बल पर बेदखल कर कब्जा करना चाहते है। जिसकी

दिनांक 14.06.2022 को धमकी दी गई है तथा राजस्व रिकार्ड में अपना नाम होने का फायदा उठाकर खुर्द बुर्द करना चाहते है। काउन्टर क्लेम में अप्रार्थी सं० 1 द्वारा गणेशराम के 1/2 हिस्से की भूमि बाबत अधिकार घोषणा चाही है इस कारण दोराने बाद स्थाई निषे0 से प्रार्थीया व अप्रार्थी सं० 2 को पाबन्द करवाने का अप्रार्थी सं० 1 को कानूनन अधिकार प्राप्त है। गणेश राम द्वारा अपने 1/2 हिस्से की दिनांक 07.08.1965 को अप्रार्थी सं० 1 खाना उर्फ कन्हैयालाल के नाम वसीयत करने तथा कन्हैयालाल उर्फ खाना की दिनांक 18.12.2021 को मृत्यु होने ओर उसकी एक मात्र वारिस अप्रार्थी सं० 1 शान्ति बाई होन ओर कन्हैयालाल उर्फ खाना द्वारा दिनांक 16.12.2021 को शान्तिबाई के नाम वासीयत नामा निष्पादित करने के कारण अप्रार्थी सं0 1 एक मात्र मालिक व स्वामी है। तथा उस हेसियत से कब्जा काश्त है। इस कारण अप्रार्थी सं० 1 शान्ति बाई के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या केस है तथा दौराने दावा अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 2 में वर्णित कृषि भूमि से बेदखल कर दिया गया तथा खुर्द बुर्द कर दिया गया तो अप्रार्थी सं० 1 को अपरिमित हानी होगी और सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी सं० 1 के पक्ष में हि है। अन्त में प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 2 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वे प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 2 में वर्णित कृषि भूमि से दोराने दावा ताकत के बल पर प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 2 अप्रार्थी सं० 1 शान्ति बाई को बेदखल कर कब्जा नही करे ओर न ही ऐसा कृत्य स्वयं करे, ओर न ही अपने एजेण्ट प्रतिनिधि से करवाये तथा प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 2 मे वर्णित कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से अन्तरण कर खुर्द बुर्द नही करें गिरवी नही रखे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.11.2022 के द्वारा प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थी संख्या 2 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2022 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया तथा अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ

संलग्न दस्तावेजात रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपी एवं न्यायालय की ऑर्डर शीट व अपीलान्ट शान्ति बाई द्वारा इसके पति कान्हा उर्फ कन्हैयालाल की मृत्यु के पश्चात् मूल वाद में पेश किये गये काउन्टर क्लेम में मृतक कान्हा के स्थान पर उसके कायम मुकाम के रूप में रिकॉर्ड पर लेने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी है। वादनी गणपति बाई की और से मूल वाद में मृतक कान्हा के कायम मुकामान बनाने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र का जवाब जो शान्ति बाई द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश किया गया उसकी प्रमाणित प्रतिलिपी है। दिनांक 15/03/2022 से वाद संख्या 123/2005 गणपति बाई बनाम कान्हा उर्फ कन्हैयालाल में ओडर शीट की नकले दिनांक 22/03/2023 की ओडर शीट तक की प्रमाणित प्रतिलिपी है। सम्वत् 2010 से 2013 की जमाबन्दी ग्राम हिरापुर की प्रमाणित प्रतिलिपी है। प्रमाणित प्रतिलिपी ओर्डर शीट्स दिनांक 15/03/2022 से दिनांक 22/03/2023 तक कुल 23 ओर्डर शीट्स की नकले है जो वाद संख्या 123/2005 में अलग–अलग तारीख पेशी पर लिखी गई। दिनांक 15/03/2022 को दिया गया प्रार्थना पत्र "वास्ते बनाये जाने कायम मुकाम काउन्टर क्लेम" दिनांक 08/08/2022 को पेश किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र जो शान्ति बाई की और से कायम मुकाम बनाने के लिये पेश किया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी सम्वत् 2001 से 2005 की जमाबन्दी ग्राम हीरापुर की खाता संख्या 16 की नकल जिसमें खातेदार के कोलम में रामचन्द्र व गणेश पिसरान गोरधन धोबी निवासी कापरेन का नाम दर्ज हो रहा है। उक्त दस्तावेजात न्यायालय से प्राप्त आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपी व राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपी है जो किसी प्रकार फर्जी व बनावटी नही है उक्त दस्तावेज को रिकोर्ड पर लिये जाने से श्रीमान को अपील का निर्णय करने में मदद मिलेगी और यह तथ्य स्पष्ट हो सकेगें कि शान्ति बाई अब तक कान्हा की मृत्यु के बाद रिकॉर्ड पर कायम मुकाम के रूप में नही आई है और वाद में पक्षकार नहीं बन पाई है। फिर भी इसके द्वारा बिना पक्षकार बने ही प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद की पत्रावली मोजुद थी इस कारण उक्त तथ्यो को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया गया था । लेकिन अपील मे मूल वाद की पत्रावली नहीं होने से उक्त दस्तावेज को पेश किया जाना व रिकोर्ड पर लिया जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र वास्ते लिये जाने रिकोर्ड पर दस्तावेज पेश किया जा रहा है। उक्त दस्तावेज अपील में सुसंगत होने से न्यायहित में रिकोर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। यदि दस्तावेज को रिकोर्ड पर नही लिया गया तो प्रार्थी कायम मुकाम के बिन्दु को न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रमाणिक तौर पेश करने से मेहरूम हो जावेगा। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकोर्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जावें व दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया तथा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज अपील के निर्णय हेतु सुसंगत नहीं है। यदि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं ऑर्डरशीट अपील के निर्णय हेतु प्रभावी है तो उस परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की मूलवाद की पत्रावली तलब की जानी

चाहिए। मृतक खाना उर्फ कन्हैयालाल की पत्नि अपीलांट शांति बाई होना स्वीकृत तथ्य है। अन्त में रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी. सी. खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. हमने रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. तथा इसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रार्थना–पत्र पर बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज राजस्व अभिलेख व न्यायालय के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ है जिन पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। हमारे मत में उक्त दस्तावेजों का प्रकरण से सुसंगत होना तथा अपील के निस्तारण में सहायक सिद्ध होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित मे रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी. सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02/11/2022 वस्तु स्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्त होने योग्य हैं। अपील विषयक कृषि भूमि वाद प्रस्तुती के समय एवं वर्तमान जमाबंदी में शांति बाई बैवा स्वर्गीय खाना हिस्सा 2/3 एवं दाखा बाई पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/6, गणपति बाई पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/6 दर्ज हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में स्वत्व का अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता हैं। भूमि का कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा हैं तथा फसल व रखी हैं, जिस पर रेस्पोडेन्टस् जबरन कब्जा करने एवं फसल नष्ट करने पर आमादा हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का कब्जा काश्त ताफैसला वाद बनाये रखने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित हैं किन्तु सम्पूर्ण कृषि भूमि के बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारीज करके आदरणीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं कानूनी त्रुटि की गई हैं। पक्षकारों के मध्य न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने एवं विवाद उत्पन्न होने के पूर्व वाद विषयक कृषि भूमि सम्वत् 2062 से 2065 की जमाबंदी में गणेश पुत्र गोरधन हिस्सा 1/2 एवं खाना उर्फ कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र हिस्सा 1/2 दर्ज थी। गणेश आ० गोरधन के लाऔलाद देहान्त होने के बाद यद्यपि उसके द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 07/08/1965 के आधार पर खाना उर्फ कन्हैयालाल सम्पूर्ण कृषि भूमि का वैधानिक खातेदार है एवं इसी अधिकार की घोषणा के बाबत् अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम मूल वाद में लंबित हैं किन्तु उक्त वसीयत का प्रश्न साक्ष्य के उपरान्त निर्णयाधीन माना जायें तो खाना उर्फ कन्हैयालाल, गणपति बाई एवं दाखा बाई, गणेश आ० गोरधन के सगै भाई रामचन्द्र की सन्ताने होने से उसका 1/2 हिस्सा तीनो में विभाजित करने पर 1/6 हिस्सा गणपति बाई, 1/6 हिस्सा दाखा बाई एवं 1/6 हिस्सा खाना उर्फ कन्हैयालाल को प्राप्त हुआ, जो उसके मरने के बाद अपीलान्ट शांति बाई में निहित हो गया हैं। इस प्रकार खाना उर्फ कन्हैयालाल की पत्नि अपीलान्ट शांति बाई 2/3 हिस्से की राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदार हैं तथा 2/3 हिस्से की सीमा तक उसे बैदखल नहीं करने एवं कब्जे काश्त में हस्तक्षेप रोकने के लिए रेस्पोडेन्टस् के विरुद्ध न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने

की अधिकारी हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर गौर नहीं किया हैं, जिस कारण रेस्पोडेन्टस् जबरन अपीलान्ट शांति बाई की फसल को नष्ट करने अपीलान्ट को बैदखल करने और जबरन कब्जा करने पर आमादा हो गये हैं। मूल वाद में रेस्पोडेन्ट वादी गणपति बाई ने स्वयं को गणेश आ० गोरधन की गौद पुत्री होना प्रकट करते हुऐ 1/2 हिस्से की खातेदार घोषित करने और 1/2 हिस्से पर बंटवारा करवाया जाकर कब्जा दिलवाये जाने की प्रार्थना की है। राजस्व न्यायालय को गौद का प्रश्न निर्णित करने का अधिकार नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट वादीनी के पक्ष में कोई गौद पुत्र नहीं लिखा गया हैं। स्वयं वादीनी गणपति बाई ने सम्पूर्ण कृषि भूमि पर स्वर्गीय खाना उर्फ कन्हैयालाल से काश्त करवाना प्रकट किया हैं। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट गणपति बाई सम्पूर्ण भूमि पर वाद प्रस्तुती के पहले से खाना उर्फ कन्हैयालाल एवं अपीलान्ट का कब्जा काश्त होना स्वीकार करती हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया हैं। मूल वाद के जवाब दावे में स्वर्गीय खाना उर्फ कन्हैयालाल एवं रेस्पोडेन्ट दाखा बाई ने संयुक्त रूप से जवाब–दावा एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वादीनी गणपति बाई को स्वर्गीय गणेश गौद पुत्री होना अस्वीकार किया गया हैं और स्वर्गीय गणेश की वसीयत के आधार पर खाना उर्फ कन्हैयालाल को सम्पूर्ण कृषि भूमि का एक मात्र स्वामी होना प्रकट किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ती को निर्णय का आधार नहीं बनाया है। रेस्पोडेन्ट दाखा बाई को मूल वाद में जवाब दावे से भिन्न विरोधाभाषी जवाब अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हैं और वह जवाब दावे में किये गये कथन के विरुद्ध उसी वाद में भिन्न कथन करने से प्रतिबंधित है। रेस्पोडेन्ट वादीनी गणपति बाई ने मूल बाद केवल मात्र स्वर्गीय गणेश आ० गोरधन की गौद पुत्री होना प्रकट करते हुऐ 1/2 हिस्से की खातेदार घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया है। इससे भिन्न किसी भी आधार पर वाद एवं अनुषंगिक प्रार्थना पत्र में जवाबदेही करने से वह प्रतिबंधित है। न्यायालय द्वारा भी इस प्रकार के कथन को निर्णयाधार नहीं बनाया जाना चाहिए। रामचन्द्र आ० गोरधन की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आने के पहले ही हो गई थी, इस कारण रामचन्द्र के स्थान पर केवल मात्र उसके पुत्र खाना उर्फ कन्हैयालाल का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया गया हैं, जिससे किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौति नहीं दी जा सकती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित नहीं मानकर तथा सुविधा सन्तुलन का भार व अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में नहीं मानकर वैधानिक त्रुटि की गई है। किसी भी सहखातेदार को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त करने एवं कब्जा बनाये रखने के लिए अन्य सहखातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। वादिनी गणपति बाई ने वाद की चरण संख्या 2 में स्वीकार किया है कि पूरी भूमि खाना ही जोतता है। अर्थात पूरी भूमि पर खाना का ही कब्जा–काश्त है। वाद प्रस्तुत करते समय गणपति की आयु 65 वर्ष है, वह कभी गोदपुत्री रही ही नहीं। गोदपुत्री का कोई दस्तावेज नहीं है। स्वयं खाना ने अपनी पत्नी शान्तिबाई से वसीयतनामा लिखाया तथा दिनांक 28.06.2022 को यह वसीयतनामा रजिस्टर्ड हुआ। यदि तर्क हेतु 1/6 भूमि गणपति बाई की मानते है तो भी चूंकि भूमि हमारे कब्जे–काश्त में है तो 1/6 हिस्से की भूमि का कब्जा–काश्त, कैश सिक्युरिटी पर अपीलांट को दिया जाए। अपनी बहस के समर्थन मे

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2001 आर.बी.जे. पेज 47, 1987 आर.आर.डी. पेज 593, 1994 आर.आर.डी. पेज 326, 1995 आर.आर.डी. पेज 76(एच.सी.) प्रस्तुत किये। अन्त में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02/11/2022 निरस्त किये जाने का निवेदन किया तथा अपीलान्ट प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट क्रम–1 व 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला बाद पांबद किये जाने का निवेदन किया कि वे अपीलान्ट को वाद विषयक कृषि भूमि से जबरन बैदखल नहीं करें और वादीनी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें तथा वाद ग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं करें तथा रहन, बैचान एवं भारग्रस्त नहीं करें।

10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की सह खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। गणेश जी ने अपने भाई रामचन्द की पुत्री गणपति बाई को सामाजिक रीति अनुसार गोद लिया था। चूंकि गोद सेरेमनी रीतिरिवाज अनुसार हुई अतः यह गोद कानूनन मान्य है। इंतकाल संख्या 113 दिनांक 26.09.2006 गणेश का हिस्सा गलत व विधि विरूद्ध रूप से खाना उर्फ कन्हैयालाल के दर्ज कर दिया। हमने इंतकाल संख्या 113 को भी चैलेन्ज किया है। वस्तुतः दिनांक 07.08.1965 की तथाकथित वसीयत फर्जी एवं बाद में बनाई हुई है। जब खाना का हिस्सा ही सही नहीं है तो उस आधार पर खाना द्वारा की गई वसीयत शांतिबाई के पक्ष में दिनांक 28.06.2022 की रजिस्टर्ड वसीयत भी सही नहीं मानी जाएगी। यह तथ्य है कि रामचन्द व गणेश के परिवार में तीन सन्तानें–गणपति, दाखा व खाना थे। यदि कोई पुत्री ससुराल में रहती है तो पैतृक सम्पत्ति मे उसके हक अधिकार समाप्त नहीं होते। हमारे हिस्से की भूमि पर हमारा कब्जा–काश्त है। विरासत में पूर्वजों से प्राप्त भूमि पर सभी वारिसान का कब्जा काश्त माना जाता है। सभी सहखातेदारों का संयुक्त खाते की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा–काश्त कानूनन माना जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में मूलवाद में शांतिबाई को वर्तमान में कायम मुकाम ही नहीं बनाया गया है, अतः शांतिबाई न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकती। जब शांतिबाई वाद में पक्षकार नहीं है तो वह अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त नहीं कर सकती। अधिवक्ता अपीलांट का कथन गलत है कि सम्पूर्ण भूमि पर इनका कब्जा–काश्त है। वस्तुतः विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की संयुक्त रूप से कब्जा–काश्त की भूमि है। हमारा कब्जा–काश्त है। 1/6 भूमि या कैश सिक्युरिटी का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि वसीयत व गोदपुत्री का प्रश्न व हक, अधिकार मूलवाद में तय होंगे। ये प्रश्न अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर निर्णित नहीं होंगे। अपीलांट सम्पूर्ण भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहता है जबकि अपीलांट सहखातेदार है । सहखातेदारी की प्रत्येक इंच की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त होना माना जाता है। अपीलांट का हमारी विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही हैं। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2003 पेज 482, 2021(1) आर.आर.टी. पेज 133, 2013(2) आर.आर.टी. पेज 766, आर.आर.टी. 2003(2) पेज 1267, आर.बी.जे. 1999 पेज 301, डी.एन.जे. 2019(एस.सी.) पेज 131, 2019(3) सी.जे. (सिविल)(राज.) पेज 1538(एच.सी.) प्रस्तुत किये। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत

अपील खारिज किये जाने व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2022 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

11. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया।. प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में तीनो आवश्यक घटको–प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का विवेचन करने के पश्चात ही अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।

प्रथम दृष्ट्या प्रकरण–प्रकरण में स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को प्राप्त भूमि पैतृक भूमि के रूप में प्राप्त हुई है। अधीनस्थ न्यायालय की फाइंडिंग एवं हमारे समक्ष प्रस्तुत बहस एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 विवादित भूमि के सहखातेदार है। इस सम्बंध मे अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि स्वयं अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधीनस्थ न्यायालय में जवाब काउंटर क्लेम में स्वीकारोक्ति है तथा सम्पूर्ण विवादित भूमि पर हमारा कब्जा काश्त है तथा यदि गणपति बाई की वर्तमान में 1/6 भूमि दर्ज भी है उस पर कब्जा हमारा है तथा इस 1/6 भूमि को भी केश सिक्युरिटी पर अपीलांट को दिया जाए। परन्तु हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत नहीं है। यह स्वीकृत स्थिति है कि विवादित भूमि के पक्षकारान संयुक्त खातेदारी की भूमि के सहखातेदार रहे है तथा विवादित भूमि उन्हें पैतृक रूप में प्राप्त हुई है। यदि कोई एक सहखातेदार किसी दूसरे सहखातेदार से पैतृक भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर कुछ समय कृषि कार्य करवाता है तो इसका आशय यह नहीं निकाला जा सकता कि इससे उस सहखातेदार का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं माना जाएगा। गणेश की भूमि के सन्दर्भ में गणपति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गोदपुत्री के आधार पर तथा खाना उर्फ कन्हैयालाल ने दिनांक 07.08.1965 में की गई वसीयत के आधार पर अपना–अपना क्लेम प्रस्तुत किया है। तथा प्रश्नगत दोनो के क्लेम व प्रश्न गोदपुत्री एवं वसीयत के प्रश्न मूलवाद में निर्णित होंगे। अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर कोई अन्तिम निष्कर्ष पारित नहीं किया जा सकता। यह स्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक सहखातेदार का संयुक्त खातेदारी की भूमि पर संयुक्त रूप से प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है। अतः इस स्तर पर केवल अपीलांट को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार नहीं माना जा सकता जबकि प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि प्रकरण में पक्षकारान सहखातेदार है तथा भूमि पैतृक है। जब प्रकरण में सहखातेदारों के मध्य कोई विधिवत बंटवारा ही नहीं हुआ है तो कौनसी भूमि किस सहखातेदार की है, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। हमारे समक्ष ऐसा कोई प्रथम दृष्ट्या दस्तावेज/साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रथम दृष्ट्या साबित होता हो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट के हिस्से की भूमि में कोई दखलंदाजी करता हो। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1995 आर.आर. डी. पेज 76(एच.सी.) हस्तगत प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियॉं अलग होने से इस पर हूबहू चस्पा नहीं होता। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत है कि एक पिता के वारिसान पुत्र एवं पुत्रियों का पिता की मृत्यु के बाद उसमें हक–अधिकार होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण केवल अपीलांट के पक्ष में नहीं है बल्कि समान रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में भी है।

सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति– यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि सामान्यतः एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। यदि पैतृक भूमि के रूप में प्राप्त भूमि को कोई सहखातेदार अपने हिस्से की भूमि दूसरे सहखातेदार को कृषि कार्य हेतु कुछ समय के लिए देता है तो इसका आशय यह नहीं कि उस सहखातेदार को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। वस्तुतः संयुक्त खाते की सहखातेदारी की भूमि पर सभी सहखातेदारों को संयुक्त भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी केवल अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता। उभयपक्ष के विवादित भूमि में हक, अधिकार मूलवाद में तय होंगे। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2022 से सहमत है तथा इसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

12. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन के प्रकरण संख्या 38/2022 में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2022 यथावत रखा जाता है।

13. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

14. निर्णय आज दिनांक 20.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा